न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-49/2017

दौलाराम दत्तक पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी नांगल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- भैरू पुत्र हणमान जाति नामूम निवासी नांगल तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

2- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

उपस्थिति-

श्री रणजीतसिंह एडवोकेट- अपीलान्ट

निर्णय दिनांक- 3.4.2018

संक्षेप में प्रकरणके तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा बाबत घोषणा रेकार्ड व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त की पैतृक भूमियां ख0नं0 987 रकबा 1.03 हैक्टर, ख0नं0 987/1045 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 1.24 हैक्टर पुराने ख0नं0 424 रकबा 1.24 हैक्टर ग्राम नांगल तहसील दांतारामगढ में स्थित है ।उक्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से ही वादी के दादा लच्छा का कब्जा काश्त रहा है। लच्छा की मृत्यु पर प्रथम जमाबन्दी सं0-2019 से 2022 राजस्व कर्मचारियों की भूलवश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भैंरू पुत्र हनुमान गोमा पुत्र लच्छा के नाम से अंकित कर दी जबकि भैंरू पुत्र हनुमान नामक व्यक्ति है ही नहीं । और ना ही भैंरू पुत्र हनुमान नाम का व्यक्ति इस आराजी को कभी काश्त की है। गोमाराम की मृत्यु पर उक्त भूमि भैंरू पुत्र हनुमान व दौलाराम दत्तक पुत्र गोमाराम के नाम दर्ज हो गया । जबकि उक्त आराजी पर केवल दौलाराम का ही कब्जा काश्त है ।भैंरू पुत्र हनुमान का नाम गलती से दर्ज हुआ है । इस नाम का व्यक्ति नहीं है । ना ही इस आराजी को कभी भैंरू पुत्र हनुमान ने काश्त की है ।अतः दावा स्वीकार कर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के विपरित है ।अदालत मातहत ने निर्णय में अपना ज्यूडिसियल माईन्ड अप्लाई नहीं कर कानून भूल की है। राजस्व रेकार्ड में स्पष्ट है कि भैंरू पुत्र हनुमान नाम का कोई व्यक्ति नहीहै तथा उक्त आराजी पर वादी/अपीलान्ट दोलाराम का कब्जा काश्त है जो तहसीलदार की मौका जांच से स्पष्ट है किन्तु योग्य अदालत मातहत ने अपना निर्णय इन तथ्यों पर कोई गौर न कर दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरित अपना निर्णय पारित किया है । भैंरू पुत्र हणमान की अखबार में तामिल करवाई जा चुकी किन्तु कोई व्यक्ति हाजिर नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड में भैंरू पुत्र हणमान का नाम सहवन राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज किया है बल्कि इस नामा का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं है और न ही इस आराजी पर उसका कोई कब्जा काश्त रहा है ।अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषक सुनी गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 424 रकबा 1.24 हैक्टर के हाल खसरा नं0 987 रकबा 1.03 हैक्टर, ख0नं0 987/1045 रकबा 0.21 हैक्टर बने हैं ।प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0- 2019 से 2022 में ख0नं0 424 की खातेदारी भैंरू वल्द हनुमान गोमा वल्द लच्छा जाति जाट के नाम दर्ज है तथा भैंरू खुद कृषक दर्ज है ।प्रदर्श-2 व 3 में उक्त आराजी की खातेदारी भैंरू पुत्र हनुमान, गोमा पुत्र लच्छा एवं प्रदर्श-3 में भैंरू पुत्र हनुमान दौलाराम पु दत्तक पुत्र गौमा के नाम दर्ज है जो प्रदर्श-4, 5, 6, 7 एवं 8 में लगातार दर्ज रहा है । प्रदर्श-9 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अभयपुरा दिनांक 11-7-2014 में विवादित आराजी पर दौलाराम पुत्र गोमाराम का कब्जा काश्त बताया है तथा भैंरू पुत्र हणमान नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम नांगल में नहीं है । नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 21-3-17 में विवादित आराजी पर भैंरू पुत्र हणमान नाम का व्यक्ति उपस्थित नहीं मिला ना ही इस आराजी पर उसका कब्जा बताया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी की खातेदारी भैंरू पुत्र हणमान गोमा पुत्र लच्छा की जमाबन्दी सं0-2019 से 2022 से ही दर्ज चली आ रही है ।इस जमाबन्दी में काश्त भैंरू की दर्ज बताई है ।इसके साथ ही राजस्व रेकार्ड में आज तक भैंरू पुत्र हणमान की ख खातेदारी दर्ज है । जिसके लिये सरपंच एवं नायब तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि भैंरू पुत्र हणमान नामका व्यक्ति इस ग्राम में नहीं है और ना ही उसका इस आराजी पर कब्जा है ।उक्त मौका रिपोर्ट एवं सरपंच के प्रमाण पत्र एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार की खातेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(मु0) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26-4-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 3.4.2018 को सुनाया गया ।

3/4/18.

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर